न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग
इजलाश श्री **सुनील कुमार झिगोनिया** आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 05/2023

1–शहजू पुत्र मेहताव जाति मेव निवासी नगला वादीपुर तहसील कामां, (डीग)

प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, कामां (डीग) राजस्थान

उपस्थित अधिवक्ता **अप्रार्थी**

1– श्री देवेन्द्र सिंह प्रार्थी अधिवक्ता

2– पैरोकार सरकार

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 14.03.2024

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया कि आराजी नम्बर हाल 29 रकवा 0.46 व पुराना खसरा नम्बर 68 मिन वाके ग्राम रोशियाका तहसील कामां सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2035 से 2039 व 2064 से 2067 व हाल जमाबन्दी सं0 2035 से 2077 मिलान क्षेत्रफल नक्शा ट्रेस सलग्न है । उक्त आराजी प्रार्थी ने बरकतराम पुत्र गेंदाराम जाति राजपूत निवासी रोश्यिका तहसील कामां से जरिये रजिस्ट्रर्ड बयनामा से खरीद किया था जिसका दाखिल खारिज संख्या 414 प्रार्थी शहजू के पक्ष में स्वीकार हुआ । उक्त खसरा नम्बर हाल 29/0.18 व खसरा नम्बर 26/0.18 पूर्व के खसरा नम्बर 68 मिन नम्बर के भाग है । जो पुराने खसरा नम्बर 68 मिन को ट्रेस नक्शा में एक जगह दर्शाया हुआ था किन्तु मौके पर प्रार्थी ने अपने मनवट के आधार पर एक तरफ रास्ता के सहारे अपने खरीदशुदा खसरा नम्बर 29/0.18 का कब्जा लेकर वक्त बयनामा से और अब तक काश्त करता चला आ रहा है । बंदोवस्त विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बर 68 मिन के जब नये नम्बर कायम किये गये बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने बिना मौके की जांच किये खिलाफ कानून व मौका के प्रार्थी के खसरा नम्बर को नये नक्शा ट्रेस में सडक के सहारे व पूर्व की भांति नहीं दर्शाकर किसी अन्य जगह पर प्रार्थी के खातेदारी के खसरा नम्बर 29/0.18 को दर्शाया है जो कतई गलत है बन्दोबस्त विभाग द्वारा ट्रेस में गलत दर्ज किये गये खसरा नम्बर से प्रार्थी को सख्त हक तलफी हो रही है । इसलिए प्रार्थी को मौका कब्जा के अनुसार नक्शा ट्रेस बन्दोबस्त में शुद्धि चाहता है । अतः प्रार्थना पत्रइस कदर स्वीकार फरमाया जावे हाल बन्दोबस्त नक्शा में खसरा नम्बर 29/0.18 को सडक के सहारे मौका कब्जा के अनुसार कायम किया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस जारी किया गया । अप्रा अप्रार्थी ने के द्वारा अपने पत्रांक/एल0आर0/2023/2350 दिनांक 06.11.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि प्रार्थी शहजू पुत्र महताव जाति मेव निवासी नगला वादीपुर ने जरिये धारा 136 भू0अ0के तहत ग्राम के रोश्यिाका के आराजी खसरा नमबर 29 रकवा 0.18 के स्थान पर आराजी खसरा नम्बर 26 रकवा 0.18 की शुद्धि चाही गयी है । राजस्व रिकार्ड एवं मौका की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार से है :–ग्राम रोश्यिका के साबिक खसरा नम्बर 68/0.36 दो भागों में विभक्त किया गया है जिसके 955/68/0.18 व 956/68/0.18 बनाये गये है । राजस्व रिकार्ड के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 955 / 68/0.18 शहजू पुत्र महताब जाति मेव निवासी नगला वादीपुर दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी खसरा नम्बर 956/68/0.18 सिराजू, सफीमौहम्मद पिसरान दानसिंह जाति मेव निवासी नगला वादीपुर दर्ज रिकार्ड है । भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा साविक खसरा नम्बर 955/68/0.18 व 956/680.18 के हाल नम्बर 26/0.18 व 29/0.18 बनाये गये है । जमाबन्दी सं0 2074–77 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 26 रकवा 0.18 पर विरासत से अकलीमा पुत्री हसन वगैरा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी खसरा नम्बर 29 रकवा 0.18 पर शहजू पुत्र महताव जाति मेव निवासी नगला वादीपुर दर्ज रिकार्ड है । मौके के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 26 रकवा 0.18 पर सन् 1982 से लगतार शहजू पुत्र महताव जाति मेव निवासी नगला वादीपुर तथा आराजी खसरा नम्बर 29/0.18 पर अकलीमा पुत्री हसन वगैरा जाति मेव निवासी नगला वादीपुर काबिज है ।

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

अतः ग्राम रोशियाका के हाल आराजी खसरा नम्बर 26/0.18 पर शहजू पुत्र महताब जाति मेव निवासी नगला बादीपुर एवं आराजी खसरा 29/0.18 पर अकलीमा पुत्री हसन वगैरा जाति मेव निवासी नगला वादीपुर खातेदार शुद्ध किया जाना उचित है ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए जमाबन्दी सं0 2074–77 नकल नक्शा ट्रेस नकल शपक पत्र श्री बूटाराम पुत्र बरकतराम जाति राजपूत निवासी रोशियाका सलग्न किया है ।

प्रार्थी वकील को पैरोकार सरकार की रिपोर्ट का अवलोकन कराया गया । जिस पर प्रार्थी वकील ने पैरोकार सरकार की रिपोर्ट पर अपनी सहमति व्यक्त की है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का मनन किया । अप्रार्थी पैरोकार सरकार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । आराजी खसरा नम्बर 26/018 पर शहजू पुत्र महताव जाति मेव निवासी नगला वादीपुर एवं आराजी खसरा नम्बर 29/0.18 पर अकलीमा पुत्र हसनमोहम्मद जाति मेव निवासी नगला वादीपूर तहसील कामां मौके के अनुसार काबिज काश्त है । जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार कामां ने अपनी रिपोर्ट व मौके रिपोर्ट में स्पष्ट किया है । जिसे मौके के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आ दे श

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाकर । आराजी खसरा नम्बर 26/0.18 पर शहजू पुत्र महताव जाति मेव निवासी नगला वादीपुर एवं आराजी खसरा नम्बर 29/0.18 पर अकलीमा पुत्र हसनमोहम्मद जाति मेव निवासी नगला वादीपूर तहसील कामां मौके के अनुसार काबिज काश्त की मौके के अनुसार नक्शा में शुद्धि किया जावे है । तहसीलदार कामां को नक्शा में शुद्ध के लिए लिखा जावे । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर फैसल शुमार होवें । बाद तकमील तामील दाखिल दफतर ।

निर्णय आज दिनांक 14.3.2024 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(सुनील कुमार झिगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,कामां (डीग)